न्यूज डायरी

12 मार्च तक बंद रहेगा नहटौर रेलवे क्रॉसिंग

धामपुर। रेलवे विभाग के सीनियर डिवीजन इंजीनियर आलोक रंजन ने बताया कि रेल पटरी के स्लीपर बदले जाने के कारण नहटौर रेलवे क्रॉसिंग को 12 मार्च तक के लिए अस्थाई तौर पर बंद कर दिया गया है। कार्य पूर्ण होने के बाद फाटक को खोला जाएगा। परेशानी से बचने के लिए नागरिक नहटौर रेलवे क्रॉसिंग के स्थान पर नगीना चौराहे से होकर गंतव्य केवल रवाना हों। संवाद

शिक्षकों एवं कर्मचारियों पर लाठीचार्ज की निंदा

बिजनौर। अटेवा पेंशन बचाओ मंच उप्र के प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं पश्चिमी जोन प्रभारी चंद्रहास सिंह ने पंजाब सरकार द्वारा शिक्षकों एवं कर्मचारी पर लाठीचार्ज की निंदा की। चंद्रहास सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एनएमओपीएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुखजीत सिंह के नेतृत्व में विधानसभा घेराव के वक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछार कराई। यह सरकार का निंदनीय कृत्य है, जिसकी संगठन घोर भर्त्सना करता है। पुरानी पेंशन देश के लाखों शिक्षकों एवं कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए निरंतर संघर्ष जारी रहेगा। संवाद

सऊदी में हार्टअटैक से शेरकोट के व्यक्ति की मौत

इंतेखाब फाइल फोटो

शेरकोट। सऊदी अरब के दम्माम शहर में काम कर रहे शेरकोट के मोहल्ला कोटरा निवासी 47 वर्षीय इंतेखाब की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। परिवार में शोक व्याप्त हो गया। मृतक के भांजे शाकिब अहमद ने बताया कि मोहम्मद इंतेखाब जून 2025 में सऊदी अरब की एक कंपनी में नौकरी करने गए थे। सोमवार को अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनके साथियों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु होना बताया गया। बताया कि विदेश में मौजूद उनके अन्य लोग लगातार एक दूसरे से संपर्क में हैं। मोहम्मद इंतेखाब अपने पीछे तीन पुत्रियों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। संवाद

अनुरक्षण कार्य अधूरा मिला तो होगी कार्रवाई

धामपुर। विद्युत निगम वितरण मंडल धामपुर के अधीक्षण अभियंता मनीष कुमार सिंह ने मंडल के चारों खंड कार्यालयों धामपुर प्रथम, द्वितीय, नगीना और नजीबाबाद के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया है कि वह 15 मार्च तक हर हाल में अनुरक्षण कार्य पूर्ण कर लें। निरीक्षण के दौरान कार्य अधूरा पाया गया तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि मुख्यालय की ओर से सख्त निर्देश हैं कि अनुरक्षण कार्य हर हाल में 15 मार्च तक पूरे हो जाने चाहिए। यदि बिजली लाइन पेड़ों की शाखाओं से छू हो रही है तो पेड़ों की शाखाएं काट दिया जाए। जर्जर लाइनों को कस दिया जाए। तिरछे बिजली के खंभों को सीधा कर दिया जाए। यदि कोई खंभा टूटा हुआ है तो उसे तत्काल प्रभाव से बदल दिया जाए। संवाद

वित्तविहीन शिक्षकों के लिए आंदोलन तेज होगा

धामपुर। धामपुर के एक स्कूल में वित्तविहीन स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। समिति मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार ने अतिथि अतुल कुमार का फूलमालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष अतुल कुमार ने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों के कल्याण के लिए संगठन की ओर से संघर्ष तेज कर दिया गया है। चेताया कि यदि प्रदेश सरकार ने साल 2027 से पहले शिक्षकों के भविष्य को उज्जवल नहीं किया तो आंदोलन तेज होगा। बताया कि संगठन की ओर से मुरादाबाद बरेली स्नातक खंड से अतुल कुमार को चुनाव में उतारने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में समिति जिला अध्यक्ष कुंवर पाल, अनिल कुमार, अनुपम अग्रवाल, पवन कुमार, लवजी यादव, नरेंद्र सिंह नरूका, राहुल त्यागी, अवनीश कुमार, मेघराज सिंह ,बृजेश कुमार, गोपाल ,मयूरअली आदि प्रबंधक उपस्थित रहे। संवाद

ब्लॉक कार्यालय में एडीओ को ज्ञापन सौंपते रोजगार सेवक। स्रोत : संगठन

गन्ना समाप्त होने तक बंद नहीं होने देंगे चीनी मिलें

भाकियू अराजनैतिक की पंचायत में किसानों की समस्याओं पर चर्चा, नया गन्ना बीज देने के नाम पर शोषण का आरोप

नजीबाबाद के लोनिवि में बैठक करते किसान। स्रोत : स्वयं

नूरपुर गन्ना समिति परिसर में बैठक में मौजूद कार्यकर्ता। स्रोत : यूनियन

कोतवाली देहात में भाकियू टिकैत की बैठक में उपस्थित कार्यकर्ता। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी

नजीबाबाद/नांगल सोती। भाकियू (अराजनैतिक) की मासिक पंचायत में किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि चीनी मिल किसानों से 400 रुपये क्विंटल गन्ना लेकर 1800 रुपये क्विंटल गन्ना बीज दे रही है।

ब्लॉक अध्यक्ष चौ.कुलवीर सिंह ने कहा कि चीनी मिलें नया गन्ना बीज देने के नाम पर किसानों का शोषण दे रही है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों के खेतों में गन्ना खड़ा है, तब तक किसी भी चीनी मिल को बंद नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में किसान गन्ने की बुवाई में व्यस्त हैं। जिले की सभी चीनी मिलों को किसानों का गन्ना समाप्त होने के बाद ही बंद कराया जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की आर्थिक हानि न उठानी पड़े। लोनिवि के गेस्ट हाउस में आयोजित पंचायत में सरदार इकबाल सिंह, भोपाल राठी, विजय सिंह, नवीन राजपूत, पुनीत चौहान, गजेंद्र सिंह, प्रशांत चौधरी, हिमांशु चौधरी, मुनेंद्र सिंह, भूपेंद्र चौधरी, पवन कुमार, रूपेंद्र सिंह रहे।

■ बिलाई मिल से शीघ्र गन्ना भुगतान दिलाने की मांग : हल्दौर। ब्लॉक कार्यालय परिसर में भाकियू की मासिक बैठक में बिलाई चीनी मिल से जल्द गन्ना मूल्य भुगतान कराने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने गांव कुतुबपुर गढ़ी में जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए नाला निर्माण की मांग की। इसके अलावा क्षेत्र में बढ़ रहे संरक्षित पशुओं से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान पर चिंता जताते हुए उनसे निजात दिलाने की मांग की गई।

बिजनौर-मुरादाबाद हाईवे पर अट्टे वाले बाबा के सामने सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने, खेती की सिंचाई के लिए प्रतिदिन दस घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा नहरों में नियमित रूप से पानी छोड़े जाने की मांग भी रखी। जिला उपाध्यक्ष परवेंद्र बालियान, ब्लॉक अध्यक्ष अरुण कुमार, दिनेश सिंह, छोटन सिंह, सुभाष शर्मा, रघुनाथ सिंह, नौबहार सिंह, मुनिदेव, राकेश सिंह, लाल सिंह, संजीव कुमार आदि मौजूद रहे।

किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग

नूरपुर। भाकियू टिकैत की मासिक पंचायत सहकारी गन्ना समिति परिसर में आयोजित की गई। इसमें क्षेत्रीय किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। गांव बीरबलपुर में रास्ते के बीच खड़े बिजली के खंभे को हटाने, गांव शाहपुर गुलाल में बंदरों व आवारा पशुओं से निजात दिलाने, गांव टंडेरा में बिजली के नए कनेक्शन केबिलों को दुरुस्त करने तथा पशुओं में चल रही मुंहपका बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण करने की मांग उठाई गई। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी चंद्रपाल सिंह, शीशपाल, समरपाल, दुष्यंत, कफील सैफी, अशफाक खान, कल्याण सिंह, पीयूष, विनीत, हरवीर सिंह आदि मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता छत्रपाल सिंह संचालन ऋषिपाल सिंह ने किया। संवाद

ब्लॉक परिसर में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने का आरोप

कोतवाली देहात। भाकियू की ब्लॉक प्रांगण में हुई मासिक बैठक में कार्यालय परिसर में बने शौचालय में गंदगी पसरी होने पर नाराजगी जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि जब ब्लॉक कार्यालय की बुरी स्थिति है तो गांवों में सफाई के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी बलजीत सिंह ने कहा कि गंदगी के कारण लोग शौचालय का प्रयोग नहीं करते हैं। ब्लॉक कार्यालय परिसर में मूलभूत सुविधाओं का भी टोटा है। ब्लॉक के अधिकारी तथा कर्मचारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। बैठक में जिले को गुलदार मुक्त बनाने, निर्बाध बिजली आपूर्ति करने, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे गोवंशों को गोशाला भेजना की मांग की गई। संचालन राहुल चौधरी ने किया। बैठक को ओमराज सिंह, जयराम, फैयाज, तेजपाल सिंह, सोवीर सिंह, ओम प्रकाश सिंह, राजपाल सिंह, राजवीर सिंह, भूदेव, घनीराम आदि ने विचार रखे। संवाद

बार-बार मांग के बाद भी समस्याएं जस की तस

संवाद न्यूज एजेंसी

धामपुर। भाकियू टिकैत तहसील अध्यक्ष चौधरी कविराज सिंह ने अधिकारियों पर किसानों की समस्याओं का समाधान न करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। तहसील अध्यक्ष ने कहा कि बार-बार मांग के बाद भी अधिकारियों पर कोई असर नहीं हो रहा।

गांव अजीतपुरदासी में खंड विकास अधिकारी ने पिछले दिनों सर टूटी सड़कों पर चैनल डलवाने का भरोसा दिया था। जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। ब्लॉक परिसर में आयोजित मासिक पंचायत में उन्होंने सभी गांवों में मच्छरों की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव कराने, किसानों को गन्ने का बीज सरकारी रेट पर दिलाने, हाफिजाबाद में मंदिर के पास सड़क का निर्माण कराने, निराश्रित गोवंश को पकड़कर गोशालाओं में बंद कराने, गुलदारों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की।

पंचायत में ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र सिंह, बेगम अली, निजामुद्दीन, अशोक कुमार, पदम सिंह, प्रमोद कुमार, रुपेश कुमार, निशांत चौधरी, रिंकू चौहान, विजय जैन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्षता वरिष्ठ किसान नेता योगेंद्र सिंह ने की। संचालन महेंद्र पाल सिंह ने किया।

धामपुर में बीडीओ त्रिलोकचंद को ज्ञापन सौंपते भाकियू कार्यकर्ता। स्रोत : कार्यकर्ता

ट्रेड डील व बागों की कटाई का मुद्दा उठा

नहटौर। ब्लॉक परिसर में सोमवार को भाकियू (टिकैत) की बैठक में भारत-अमेरिका ट्रेड डील और क्षेत्र में अवैध रूप से हो रही पेड़ों की कटाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील से देश के किसानों के हित प्रभावित होंगे इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा संरक्षित पशुओं को पकड़वाकर गोशाला भिजवाने, मृत्यु प्रमाणपत्र समय पर बनाए जाने, खराब पड़े हैंडपंपों को रीबोर कराने, बिजली बिलों में हो रही गड़बड़ियों को ठीक कराने तथा स्मार्ट मीटर न लगाए जाने की मांग की गई। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष मुनेश कुमार, राजेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, जैनेंद्र सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, गजेंद्र सिंह आदि रहे। संवाद

बरूकी में नहर पर पुल निर्माण शुरू नहीं होने पर दी धरने की चेतावनी

बरूकी। भाकियू (टिकैत) की सहकारी समिति के प्रांगण में हुई बैठक में ब्लॉक मोहम्मदपुर देवमल अध्यक्ष डॉ. विजय सिंह चौधरी ने कहा कि किसानों का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरूकी के पंजाब नेशनल बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में क्षेत्रीय किसानों को मान सम्मान न दिए जाने एवं पासबुक में एंट्री न करने पर विरोध किया गया। बैठक में क्षेत्र के किसानों ने झालू से नजीबाबाद के सरकनपुर तक नहर की पटरी को पक्का कराने, ग्राम बरूकी में सहकारी बैंक की शाखा का निर्माण कराने, ग्राम बरूकी में नवनिर्मित पानी की टंकी को शीघ्र चालू कराने, बरूकी के दोनों साप्ताहिक बाजारों को सहकारी संघ, सहकारी समिति एवं मंडी समिति के प्रांगण एवं पानी की टंकी के प्रांगण में लगवाने आदि की मांग की गई। बैठक में पानीपत-खटीमा नेशनल हाईवे पर बरूकी में नहर पर पुल निर्माण शुरू नहीं होने पर 16 मार्च को निर्माण कंपनी के प्लांट पर अनिश्चितकालीन धरना देने का निर्णय लिया गया। बैठक में जय सिंह, श्रेयांश सिंह, धर्मवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, मोमिन खान, मोकेंद्र सिंह, भोपाल सिंह, अमरदीप सिंह, विजेंद्र सिंह, नरपाल सिंह, चमन सिंह, तिलकराम आदि रहे। अध्यक्षता धर्मवीर सिंह धनखड़ ने एवं बृजेश कुमार ने किया। संवाद

दो मार्च तक खरीदे गन्ने का भुगतान किया

अफजलगढ़। द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वरिष्ठ अधिशासी उपाध्यक्ष कॉर्पोरेट सलिल एस. आर्य ने बताया कि समूह की बहादरपुर चीनी मिल ने पेराई सत्र 2025-26 में 24 फरवरी से दो मार्च 2026 तक खरीदे गन्ने का भुगतान 14.22 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के खातों में भेज दिया है। संवाद

अमर उजाला

यदि आपको अमर उजाला की प्रति नियमित या समय से नहीं मिल रही है तो कृपया टोल फ्री नंबर या ई-मेल के माध्यम से हमें बताएं। हम शीघ्र ही उसे समय से पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

अपना अखबार शुरू करवाने के लिए संपर्क करें

1800 121 1166
सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक

circulation@amarujala.com

मनरेगा कर्मियों को एक साल से नहीं मिला मानदेय

हल्दौर। सोमवार को ब्लॉक कार्यालय में मनरेगा कर्मियों ने करीब एक साल से मानदेय का भुगतान न होने पर चिंता जताते हुए शीघ्र भुगतान की मांग की है। उन्होंने आईएसबी एडीओ अजयपाल सिंह को डीएम के नाम मांग पत्र सौंप और प्रशासन से संवेदनशीलता दिखाते हुए समस्या का शीघ्र समाधान कराने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि मनरेगा के तहत जनपद में कार्यरत रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी सहायक व अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी लंबे समय से शासन के निर्देशों के अनुरूप योजनाओं का संचालन और विभागीय कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें करीब एक साल से मानदेय नहीं मिल सका है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मनरेगा कर्मियों का कहना है कि मानदेय न मिलने के कारण उनके पारिवारिक दायित्व प्रभावित हो रहे हैं।

बढ़ती महंगाई और आर्थिक जिम्मेदारियों के चलते कर्मचारियों के लिए रोजमर्रा के खर्च पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। उन्होंने शासन और प्रशासन से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द लंबित मानदेय का भुगतान कराया जाए, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष जबर अहमद, रोजगार सेवक अशोक कुमार, पवन कुमार, गोविंद, प्रमोद कुमार, किशनलाल, राकेश कुमार, राजेंद्र सिंह, देवराज सिंह, प्रदीप कुमार, अरुण कुमार, मुनेंद्र सिंह, श्रवण कुमार, सुषमा शर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद

मानदेय न मिलने पर मनरेगा कर्मियों ने दिया ज्ञापन

नहटौर। ब्लॉक क्षेत्र में कार्यरत मनरेगा कर्मियों ने सोमवार को लंबित मानदेय और ईपीएफ भुगतान की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और उपायुक्त श्रम एवं रोजगार को संबोधित करते हुए सहायक खंड विकास अधिकारी दीनदयाल सिंह को सौंपा गया।

ज्ञापन में कहा गया कि मनरेगा कर्मी ग्राम रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी सहायक और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति में योगदान दे रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें जुलाई 2025 से मानदेय नहीं मिला है, जबकि ईपीएफ की देयता भी लंबे समय से लंबित है।

कर्मचारियों का कहना है कि दीपावली के बाद से मानदेय न मिलने के कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। होली पर भी मानदेय न मिलने से कर्मचारियों के परिवारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। कर्मचारियों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर लंबित मानदेय और ईपीएफ भुगतान कराने की मांग की है। संवाद

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना E-Auction के द्वारा

मण्डल कार्यालयः रिकवरी सेन्टर, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701, ईमेल- cobznsam@pnb.co.in, cobijnore@pnb.co.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) [नियम 8(6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं)/गारन्टर (ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक/बंधक/प्रभारित है का **सांकेतिक (विवरण नीचे उल्लिखित)** कब्जा प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी**/ गारन्टरों की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथियों को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपत्तियों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर्स वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें **BAANKNET.COM**

क्र0 सं0	शाखा/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधक)	(ए) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(2) की तिथि (बी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना (ई) कब्जे के प्रकार प्रतीकात्मक/भौतिक/सांकेतिक	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
	ई–नीलामी दिनांक 27.03.2026 समय सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक				
1	**शाखाः इस्माइलपुर, बिजनौर** **ऋणी फर्मः** एच डी ए गारमेंट, **प्रो0/ऋणी/बंधककर्ताः** श्री हसमुद्दीन पुत्र श्री मौहम्मद यामीन, **गारन्टर/बंधककर्ताः** श्री अलीमुद्दीन पुत्र श्री मौहम्मद यामीन।	बंधक सम्पत्ति स्वामी हसमुद्दीन एवं अलीमुद्दीन पुत्र श्री मौहम्मद यामीन स्थित ग्राम- हेमपुर बुजुर्ग, तहसील- चांदपुर, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। कुल माप क्षेत्रफल 291.73 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 7248, पेज नं0 199 से 240, क्र0सं0 7382, दिनांक 19.05.2015, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस चांदपुर, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। पर पंजीकृत है। सीमाएँः- पूर्वः 12 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः आरिफ की सम्पत्ति, उत्तरः मौहम्मद सईद एवं मौहम्मद ताहीर की सम्पत्ति, दक्षिणः मौहम्मद आरिफ की सम्पत्ति एवं रास्ता।	(ए) 16.02.2022 (बी) रू0 15,26,869/- + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 18,70,000/- रू0 1,87,000/- रू0 20,000/-	ज्ञात नहीं
2	**शाखाः हल्दौर** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री मौहम्मद सुभान पुत्र स्व0 मोहम्मद उमर, मिठन कुंवर प्रताप सिंह, दारानगर गंज, तहसील एवं जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। **गारन्टरः** श्री सलीम पुत्र श्री इकबाल अहमद, ग्राम- अम्हेडा, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)।	सम्पत्ति स्वामी श्री मौहम्मद सुभान पुत्र श्री मौहम्मद उमर स्थित मिठन कुँवर प्रताप सिंह, दारानगर गंज, तहसील एवं जिला- बिजनोर (उ0प्र0), कुल माप क्षेत्रफल 139.40 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 5897, पेज नं0 01-16, दस्तावेज नं0 12303, दिनांक 12.10.2011, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँः- उत्तरः विजय सिंह एवं राम सिंह खुली भूमि की सीमा, दक्षिणः विजय सिंह एवं राम सिंह का मकान, पूर्वः इदुलहसन का मकान, पश्चिमः गफ्फार के मकान का 10 फीट चौड़ा रास्ता।	(ए) 27.05.2021 (बी) रू0 16,96,001.40 + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 12,45,000/- रू0 1,24,500/- रू0 15,000/-	ज्ञात नहीं
3	**शाखाः नजीबाबाद कोटद्वार रोड, बिजनौर** श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री बिशम्बर सिंह **(ऋणी/बंधककर्ता)**, श्री महफूज़ खान पुत्र श्री छुट्टन **(गारन्टर)**।	बंधक सम्पत्ति स्वामी श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री बिशम्बर सिंह, स्थित मौहल्ला- जब्तागंज, नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। कुल माप क्षेत्रफल 128.25 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 7223, पेज नं0 17-36, क्र0सं0 8741, दिनांक 08.06.2015 को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद पर पंजीकृत है। सीमाएँः- पूर्वः विक्रेता का प्लॉट (अर्थात् मौहम्मद आसिफ), पश्चिमः 18 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः 16 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः श्रीमती मीनू का प्लॉट।	(ए) 07.03.2019 (बी) रू0 **16,68,936.00** + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 18,83,600/- रू0 1,88,360/- रू0 20,000/-	ज्ञात नहीं
4	**शाखाः नूरपुर, बिजनौर** **ऋणीः** मैसर्स ताज रेफ्रिजरेशन एंड फ्रूट कम्पनी प्रोपराइटर द्वारा, श्री शहनवाज (प्रोपराइटर फर्म), **प्रोपराइटर/बंधककर्ताः** श्री शहनवाज पुत्र श्री रफीक अहमद, **गारन्टरः** श्री रफीक अहमद पुत्र श्री नाथवा।	**सम्पत्ति नं0 1.** बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित मौहल्ला- बंजारन कस्बा नूरपुर, तहसील- चांदपुर, जिला- बिजनौर (सम्पत्ति स्वामी शहनवाज पुत्र रफीक अहमद)। कुल माप क्षेत्रफल 34.18 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 8533, पेज नं0 19/60, क्र0सं0 12135, दिनांक 14.11.2017, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस चांदपुर, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँः- पूर्वः नाथवा का मकान, पश्चिमः क्रेता की आबादी फिर 5.5 फीट चौड़ी गली रास्ता, उत्तरः विक्रेता का मकान, दक्षिणः विक्रेता का मकान। **सम्पत्ति नं0 2.** बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित मौहल्ला- बंजारन कस्बा नूरपुर, तहसील- चांदपुर, जिला- बिजनौर (सम्पत्ति स्वामी शहनवाज पुत्र रफीक अहमद)। कुल माप क्षेत्रफल 14.35 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 8532, पेज नं0 373/400, क्र0सं0 12133, दिनांक 14.11.2017 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस चांदपुर, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँः- पूर्वः क्रेता का मकान, पश्चिमः 5.5 फीट चौड़ी गली रास्ता, उत्तरः फारूकन का मकान, दक्षिणः फारूकन का मकान।	(ए) 06.04.2024 (बी) रू0 **19,96,452.24** + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 11,30,000/- रू0 1,13,000/- रू0 15,000/-	ज्ञात नहीं

सम्पत्ति बिक्रि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अर्न्तगत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुसार होगी।

1. नीलामी बिक्री ''ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन'' पोर्टल **https://baanknet.com/** होगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com/)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाता है (जिसमे 5 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को ई-नीलामी से पहले तक अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। पोर्टल में समय नीलामी से पहले, केवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को पहले से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। 3. उपर्युक्त धनराशि जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान ऑनलाइन भुगतान 3 मोड अर्थात एनईएफटी/कैश /ट्रांसफर (से चालान जनरेट करने के पश्चात) **(https://baanknet.com/)** के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जाता है, हालांकि कैश / ट्रांसफर के लिए बोली लगाने वाले को पंजाब नेशनल बैंक शाखा का दौरा करना पड़ता है। चेक जैसे किसी अन्य मोड द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं, जिन्होंनें ईएमडी की राशि जमा नहीं कराई होगी को उन्हे ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा की गई ईएमडी की राशि पर कोई देय ब्याज नहीं दिया जाएगा। 4. ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉम **(https://baanknet.com/)** ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S PSB Alliance Private Limited द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट–1, तृतीय तल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (संपर्क टोलफ्री नंबर +91 8291220220, ई–मेलः– psba@psballiance.com)** इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं को ई–नीलामी की प्रक्रिया में ई–नीलामी के सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com/** के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेना होगा । 5. यहाँ अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिंत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. नीलामी के आगे के नियमों और विनियमों के लिए या तो इन वेबसाइटों पर जाएं या नोडल अधिकारी **श्री जितेन्द्र कुमार झा, मो0 नं0 9634200162 से पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालयः रिकवरी सेन्टर, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701** मे संपर्क करें। बैंक बिना किसी कारण के नीलामी प्रक्रिया को रद्द / निलंबित करने का अधिकार रखता है। 7. सफल बोलकर्ता को दिये गये खाते में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तत्काल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी तत्काल या अगले दिन सुबह जमा करानी होगी (जिसमें पूर्व में जमा किया गया ईएमडी को समायोजित कर दिया जायेगा) बयाना राशि को नीलामी की राशि में बाद में समायोजित कर दिया जायेगा। 8. नीलामी की स्वीति के 15 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। यदि वह शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दिये गये समय में नहीं कर पाता तो जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और अनुपस्थित/दोषी व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी सभी दावे या उससे सम्बन्धित दावे जिनकी बोली लगाई जानी है, वह भी खत्म हो जायेंगे। यदि नीलामी वाले दिन को अवकाश घोषित है, तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी। 9. **प्लांट और मशीनरी पर जीएसटी/टीसीएस एवं अन्य कर क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।** 10. सफल बोलीकर्ता को रिजर्व मूल्य के एक क्रम ऊपर (बोली वृद्धि राशि) बोली लगाना अनिवार्य है। 11. यह इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे बिक्री नोटिस, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 12. प्राधिकृत अधिकारियों की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदातओं, को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्ति के भार, शीर्षक, संपत्ति के भौतिक क्षेत्र और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। बोली लगाने से पहले किसी भी वैधानिक देनदारियों, कर के बकाया, दावों आदि के बारे में पूछताछ करना। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या ना हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 13. बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या बकाया जल/सेवा शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम/स्थान का बकाया जैसे किसी भी अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकरण/सहकारी हाउसिंग सोसाइटी या उक्त संपत्ति की बिक्री के संबंध में और/या कोई अन्य बकाया, कर, लेवी शुल्क, हस्तांतरण शुल्क यदि कोई हो। सफल बोलीदाता को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा। 14. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है/सावधान किया जाता है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राजस्व रिकॉर्ड/अन्य वैधानिक प्राधिकारियों जैसे बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/आयकर आदि को सत्यापित करें और संपत्ति की प्रकृति, विवरण, शर्तों, बाधा, लाइन, शुल्क, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें। 15. बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा पारित किसी भी स्थिगत/निषेध/निरोधक आदेश के लंबित रहने तक बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 16. बिक्री पर रोक/रद्दीकरण' ओआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक के मामले में, नीलामी को या तो स्थगित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, बिक्री में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान, मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 17. बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना और कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/स्थगित करने/रद्द करने/बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवके है। 18. ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी की दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चा सहित वसूल की जायेगी। नोटः अधिक जानकारी के लिए इन मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क करें- **9634200162.** 19. किसी भी बोली वृद्धि को भूमि और भवन तथा संयंत्र और मशीनरी दोनों पर आनुपातिक रूप से बढ़ा हुआ माना जाएगा।

हिन्दी पाठ में कोई विसंगति होने पर अग्रेजी अखबार Times of India पाठ को प्रमाणित माना जायेगा।

दिनांकः 09.03.2026 | स्थान – बिजनौर | प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार